अतिआवश्यक
ई–मेल के माध्यम से

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(कम्प्यूटर कक्ष)

पत्रांक–कम्पयूटर– 286 /2015–16/दिनांक लखनऊ 30 नवम्बर, 2015

समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक,
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

कृपया निदेशालय के पत्रांक–270 दिनांक 04.11.2015 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा प्रदेश में बीजों के वितरण पर अनुदान से सम्बन्धित डी0बी0टी0 प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

कतिपय जनपदों से जानकारी प्राप्त हुयी है कि पंजीकृत कृषकों के डाटा बेस में बिना किसी अभिलेखीय प्रमाण के संशोधन किया जा रहा है। विशेष रूप से अधिक बीज देने के लिये रकबा बढ़ा दिया जा रहा है अथवा एक किसान के दो अलग–अलग बैक खातों पर डुप्लीकेट पंजीकरण पर डी0बी0टी0 की कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही पूरी तरीके से निर्देशों के विपरीत एंव धोखाधड़ी की श्रेणी में आती है।

अतः आपसे पुनः अपेक्षा है कि **किसानों के पंजीकृत विवरण में किसी प्रकार का संशोधन अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त किये बिना न किया जाय और जो भी संशोधन किया जाय उसकी पुष्टि में प्राप्त अभिलेखीय प्रमाणों को आपके पास सुरक्षित रखा जाय।**

यह भी संज्ञान में आया है कि कतिपय बीज गोदामों पर बीज बिक्री से सम्बन्धित रसीद किसानों को नहीं दी जा रही है, जो नियम विरूद्ध तथा शासन की पारदर्शिता की नीति के विपरीत हैं। इसलिये आपसे पुनः अपेक्षा है कि आप कृपया शासनादेश सं0–13/2015/2580/12–2–2015 दिनांक 17.08.2015 का पालन अवश्य करायें तथा **बीज बिक्री से सम्बन्धित रसीद किसानों को बीज वितरण के समय ही अवश्य दिलायें।**

27.11.15

(आदेश कुमार बिश्नोई)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–कम्प्यूटर–286 /लखनऊ/2015–16/ तददिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0।
2. समस्त योजनाधिकारी, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।

27.11.15

(आदेश कुमार बिश्नोई)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

letterddds 24-11-2015